

केस संख्या : प्रा.पत्र 43/2025

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम - 1955
आज्ञा विस्तृत रूप से

केस संख्या	दिनांक	
	10/6/25	<p>पञ्जाबी प्र० 39 / कलक्टर आमेर मु. जयपुर के आदेश पर 10/6/25 को एक पत्र की। पुतावक डेक सिफे अप्रॉक्स-1 की तामील पूर्ण हो चुका है कोर्ट उप-रही है किता। तैके किस्म एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पञ्जाबी वामो बरत दिनांक 17/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">कुमारी सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>
	17/6/25	<p>पञ्जाबी प्रस्तुत। वकील जर्जी उपस्थित। जर्जी अधिकतर ने जाहिर किया कि अप्रॉक्स-1 आपे दिन प्रार्थना की कब्जे काश्त व खाते डारी की कृषि भूमि में कब्जे काश्त में मजामहत कर रहे है व सीव-डोल को लेकर जबरन कब्जा करने पर उतारु है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला जर्जी के पक्ष में है। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेज, जमावड़ी व पञ्जाबी का अवलोकन किया। विवेक अनुसारा प्रथम दृष्टया मामला कूरणीय शक्ति जर्जी के पक्ष में प्रतीत होता है। तथा सुविधा का संतुलन भी जर्जी के पक्ष में है। कल: वाड बाहुल्यता को रोकने के लिए आदेश दिनांक 01/05/25 को मूलवाद के निस्तारण तक रूपाई किया जाता है। पञ्जाबी फैसला सुमा हो कल</p> <p style="text-align: right;">कुमारी सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर</p>

न्याय
नांक आज्ञा कार्यवाही

